



बिहार सरकार

ई-मेल—arms.jeh.bih@gmail.com

वेबसाईट—jehanabad.bih.nic.in

दूरभाष / फ़ैक्स—06114-223142



पत्रांक—सं०—

(जिला शस्त्र शाखा)

दिनांक—

प्रेषक,

जिला दण्डाधिकारी,
जहानाबाद।

सेवा में,

जिला दण्डाधिकारी,
रजौरी
राज्य—जम्मू कश्मीर।

विषय :-

अनुज्ञप्तिधारी नायक 14655229 रवि कुमार सक्सेना, पिता— श्री गोपाल प्रसाद, ग्राम—सरेन, थाना—मखदुमपुर (ओ०पी० टेहटा), जिला—जहानाबाद (बिहार) द्वारा धारित शस्त्र अनुज्ञप्ति सं०— DMR/iii/944/13 को रद्द करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में आर्म्स वाद सं०—05/डी०एम०/2014—18 के अन्तर्गत अनुज्ञप्तिधारी नायक 14655229 रवि कुमार सक्सेना, पिता— श्री गोपाल प्रसाद, ग्राम—सरेन, थाना—मखदुमपुर (ओ०पी० टेहटा), जिला—जहानाबाद (बिहार) द्वारा धारित शस्त्र अनुज्ञप्ति सं०— DMR/iii/944/13 (S/DBBL .12 बोर बन्दुक सं०—KSA21555-06) को शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा—17 (3)(बी) के प्रावधानों के आलोक में तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है।

अतः आदेश की छायाप्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि उक्त आदेश के आलोक में अग्रेत्तर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक :- आर्म्स वाद सं०—05/डी०एम०/2014—18
में पारित आदेश की छायाप्रति।

विश्वासभाजन

जिला दण्डाधिकारी,
जहानाबाद।

ज्ञापांक—.....359...../शस्त्र, जहानाबाद, दिनांक—.....16.11.2018.....

प्रतिलिपि :- सभी जिला दण्डाधिकारी, बिहार राज्य को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- पुलिस अधीक्षक, जहानाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- थाना अध्यक्ष, मखदुमपुर/ओ०पी० प्रभारी, टेहटा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, जहानाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

✓ प्रतिलिपि :- जिला आई०टी० प्रबन्धक, जहानाबाद को वेबसाईट पर अपलोड एवं संबंधित पदाधिकारियों को ई-मेल भेजने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- श्री रवि कुमार सक्सेना, पिता— श्री गोपाल प्रसाद, ग्राम—सरेन, थाना—मखदुमपुर (ओ०पी० टेहटा) जिला—जहानाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- एक प्रति रक्षी संचिका।

जिला दण्डाधिकारी,
जहानाबाद।